

प्रेषक

बलराम प्रसाद,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना।

संवा में

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:-
महासूच

M/s-TATA MOTORS LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-TATA MOTORS LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जॉच एजेन्सी APAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र की अभिप्राणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model T.A. Certificate No/Date	Variants	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	Tata Hexa XMA 4x2 Varicor BSIV (7 Seater) AALN 0295/ 19.09.2016	1. TATA HEXA XMA 4x2 VARICOR BSIV (6 SEATER) 2. TATA HEXA XTA 4x2 VARICOR BSIV (7 SEATER) 3. TATA HEXA XTA 4x2 VARICOR BSIV (6 SEATER)	Passenger Vehicle M1	कंपनी/ डीलर द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को मॉडल के निबंधन के समय उपलब्ध करायेंगे।
2	Tata Hexa XM 4x2 Varicor BSIV (7 Seater) AALN 0270 / 23.08.2016	1. TATA HEXA XM 4x2 VARICOR BSIV (6 SEATER) 2. TATA HEXA XB 4x2 VARICOR BSIV (7 SEATER) 3. TATA HEXA XT 4x2 VARICOR BSIV (7 SEATER) 4. TATA HEXA XT 4x2 VARICOR BSIV (6 SEATER) 5. TATA HEXA XT 4x4 VARICOR BSIV (7 SEATER) 6. TATA HEXA XT 4x4 VARICOR BSIV (6 SEATER)	Passenger Vehicle M1	
3	Tata Hexa XE 4x2 VARICOR BSIV (7 Seater) AALN 0419/ 20.12.2016	1. TATA HEXA XE 4x2 VARICOR BSIV (6 SEATER)	Passenger Vehicle M1	

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 में अर्जित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/ जॉच प्रतिवेदन/ मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कंपनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन शिफ्ट के पंजियों की निबंधित जॉच करवा कर बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करेंगे की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: For M/s-TATA MOTORS LTD. Area office 109 Sai Corporate Park, Block B, 4th Floor, Rukanpura, Bailey Road, Patna-800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

पटना, दिनांक 25/11/16

प्रतिलिपि State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडल को प्रविष्टि कर दिया जाय/ I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type Approval कोल्डर में Entry कर दी जाय।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।